

जातिय पृष्ठभूमि रेकार्ड फार्म (नई जातिय श्रेणी राष्ट्रीय जनगणना पर आधारित)

विद्यार्थी का नाम.....

कक्षा / फोर्म

हमारी जातिय पृष्ठभूमि से हमारे बारे में जानकारी मिलती है। यह काफी बातों पर से निर्धारित होती है जैसे, हमारी त्वचा का रंग, भाषा, संस्कृति, वंशक्रम या पारिवारिक इतिहास। जातिय पृष्ठभूमि राष्ट्रीयता या जन्मभूमि के समान नहीं है।

Information Commissioner (पहले Data Protection Registrar) सुझाव देते हैं कि 11 वर्ष के उपर के लोगों को अपनी जातिय पहचान चुनने का अवसर मिलेगा। 11 वर्ष के उपर के बालकों को निर्णय में मदद के लिए माता-पिता या माता-पिता की जिम्मेदारी वाले लोग सहयोग करेंगे। 16 वर्ष से अधिक के छात्र यह निर्णय अपने आप ले सकेंगे।

कृपया नीचे दी हुई सूची को पढ़कर बच्चे की जातिय पृष्ठभूमि बताने के लिए उपयुक्त जगह पर निशान लगायें। यह भी बतायें कि इस फार्म को विद्यार्थी या माता-पिता ने भरा है।

गोरे लोग (White)

- ◆ ब्रिटिश (British)
- ◆ आईरिश (Irish)
- ◆ आईरिश जाति के प्रवासी (Traveller of Irish Heritage)
- ◆ जीप्सी / रॉमा (Gypsy/Roma)
- ◆ अन्य गोरे लोग (Any other White background)

मिश्रित (Mixed)

- ◆ गोरे व काले कैरिबियन (White and Black Caribbean)
- ◆ गोरे व काले आफ्रिकन (White and Black African)
- ◆ गोरे व एशियन (White and Asian)
- ◆ अन्य मिश्रित लोग (Any other mixed background)

एशियन या एशियन ब्रिटिश (Asian or Asian British)

- ◆ भारतीय (Indian)
- ◆ पाकिस्तानी (Pakistani)
- ◆ बंगलादेशी (Bangladeshi)
- ◆ अन्य एशियन लोग (Any other Asian background)

काले या काले ब्रिटिश (Black or Black British)

- ◆ कैरिबियन (Caribbean)
- ◆ आफ्रिकन (African)
- ◆ अन्य काले लोग (Any other Black background)

चीनी (Chinese)

अन्य जाति के लोग (Any other ethnic background)

मैं अपनी जातिय पृष्ठभूमि नहीं बताना चाहता।

यह जानकारी निम्न ने दी है :

माता -पिता

विद्यार्थी

कृपया साथ दिये हुए लिफाफे में इस फार्म को चार सप्ताह में स्कूल को भेजें या स्कूल कार्यालय में जमा करें (या इमेल से भेजें अगर आपको वैसे भेजा गया हो)।

(आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी से स्कूल में छात्रों के विकास एवं अलग-अलग जातिय पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुभव से संबंधित आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे जिससे सभी छात्र अपनी क्षमता के अनुकूल प्रगति कर सकें। कहीं भी छात्रों की व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं होगी। समय-समय पर यह जानकारी Local Education Authority व Department for Education and Skills (DfES) को दी जाएगी जिससे स्थानीय व राष्ट्रीय सांख्यिकी में योगदान हो सकें। आंकड़े दूसरी स्कूलों को भी दिये जाएंगे जिससे दुबारा एकत्रित करने की जरूरत न पड़े।)